Demand for Railway Line between hubli Karwar

2974. SHRI D. K. NAIKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he is aware that there is a demand for railway line between Hubli and Karwar;

(b) whether Government had sent official team to work out the feasibility and viability of the project; and

(c) if so, when Government will start construction of this Railway line?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.

(b) and (c). A Preliminary Engineering *cum*-Traffic Survey/Traffic Re-appraisal Survey for construction of a B.G. line between Hubli and Karwar carried out in the past, revealed that the proposed line will not be economically viable. In view of this and in the context of severe constraint of funds, the construction of the line was deferred for better economic times for consideration. However, recently the position has been reviewed and steps are now being taken to carry out a traffic re-appraisal survey of the proposed line, taking into account the latest developments. After the report of the re-appraisal survey is received and examined, a decision regarding construction of the line will be taken, subject to clearance by the Planning Commission.

दिल्ली नगर निगम के उन स्कूलों को साथ के किसी स्कूल में मिलाना जिनमें 175 छात्र हैं

2975. श्री त्रिलोक चन्द : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के 175 से कम छात्रों वाले स्कूलों को साथ के स्कूलों में मिला दिया जाता है या उन्हें द्वितीय पारी वाले स्कूलों से सम्बद्ध कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1 मई, 1982 के पश्चात् इस प्रकार मिलाए गए स्कूलों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आज भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनमें निर्धारित संख्या से कम छात्र हैं और जहां उनके नजदीक अन्य स्कूल चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं तथा उन्हें अन्य स्कूलों के साथ कब तक मिला दिया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० चुनय) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कम दाखिला वाले प्राथमिक स्कूलों को साथ के स्कूलों अथवा पारियों में चलने वाले स्कूलों में मिलाना या सम्बद्ध करना पर्याप्त स्थान तथा कक्षा कमरों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता पर निर्भर करता है । 175 या कम का दाखिला स्तर ही किसी स्कूल को मिलाने का मापदंड नहीं है । यदि किसी स्कूल में कक्षा कमरे पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और कक्षा कमरे सीमित संख्या में होने के कारण सभी बच्चों को स्थान देना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 175 या कम दाखिला वाले स्कूलों को भी चलाया जाता है ।

इस वर्ष के दौरान मई, 1982 से अब तक निम्नलिखित 12 प्राथमिक स्कूलों को मिलाया गया :—

(1) एम० सी० प्राथमिक (बालिका स्कूल, दरीबा नई—द्वितीय पारी ।

(2) एम० सी० प्राथमिक (बालिका) स्कूल, अजमेरी गेट—प्रथम पारी ।